रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234593
CG-DL-E-29032022-234593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1398] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944
No. 1398] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1440(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 93/2020 तारीख 31 दिसंबर, 2020 भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्याक का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 10/2021 तारीख 27 फरवरी, 2021 भारत के राज पत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 966 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 20/2021 तारीख 31 मार्च, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 1432(अ) तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 74/2021 तारीख 25 जून, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 2580(अ) तारीख 25 जून, 2021 तथा अधिसूचना सं. 113/2021 तारीख 17 सितम्बर, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 3814(अ) तारीख 17 सितम्बर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) है (जिसे इसमें इसके पश्चात बेनामी अधिनियम कहा गया है), तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)

के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई की पूर्णता, बेनामी अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश को पारित करने से संबंधित है,-

(i) 30 जून, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान बेनामी अधिनियम में विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय सीमा ऐसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; तथा

(ii) 30 सितम्बर, 2022 अंतिम तारीख होगी जिस तक ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी।

[अधिसूचना सं. 16/2022 /फा. सं. 370142/35/2020-टीपीएल-भाग-II]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव,
कर नीति और विधायन

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 में प्रकाशित की गई थी और का.आ. 3814(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

S.O. 1440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (38 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 93/2020 dated the 31st December, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 4805(E), dated the 31st December, 2020 and No. 10/2021 dated the 27th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 966(E) dated the 27th February, 2021, and No.20/2021 dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O 1432(E) dated the 31st March, 2021 and No.74/2021 dated 25th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2580(E) dated the 25th June, 2021, and No. 113/2021 dated 17th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 3814(E) dated the 17th September, 2021, (hereinafter referred to as the said notifications), the Central Government hereby specifies for the purpose of sub-section (1) of section 3 of the said Act, that where the specified Act is the Prohibition of *Benami* Property Transaction Act, 1988, (45 of 1988) (hereinafter referred to as the *Benami* Act) and the completion of any action, as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to passing of any order under sub-section (3) of section 26 of the *Benami* Act,—

(i) the 30th day of June, 2021 shall be the end date of the period during which the time limit specified in or prescribed or notified under the *Benami* Act falls, for the completion of such action; and

(ii) the 30th day of September, 2022 shall be the end date to which the time limit for completion of such action shall stand extended.

[Notification No. 16/2022 / F. No. 370142/35/2020-TPL-Part-II]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy.,
Tax Policy and Legislation Division

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. No. 4805(E) dated 31st December, 2020 and was last amended *vide* S.O. 3814(E) dated 17th September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.29 15:38:06 +05'30'